रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2006.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 25 अगस्त, 2006/3 भाद्रपद, 1928

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–171 002, 25 अगस्त, 2006

संख्या वि0स0–विधायन–गवर्न0बिल0 1–49/2006.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक,

1679–राजपत्र/2006–25–8–2006–1,467. (3955) मूल्य : 1 रुपया।

2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 22) जो आज दिनांक 25–8–2006 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे0 आर0 गाज़टा,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2006 का विधेयक संख्यांक 22

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2006

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का 3) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

धारा 2 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 2 में खण्ड (6) और (17) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(6) "सहकारी वर्ष" से अप्रैल के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाला वर्ष अभिप्रेत होगा;

(17) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;"।

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उप–धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को राज्य के लिए सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी और उसकी सहायता के लिए अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप–रजिस्ट्रार और अन्य व्यक्ति इतनी संख्या में नियुक्त कर सकेगी जितनी वह उचित समझे।"; और

(ख) उप–धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां रजिस्ट्रार की किसी भी शक्ति का प्रयोग रजिस्ट्रार की सहायता के लिए उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा पारित आदेश या किया गया विनिश्चय, अपील के प्रयोजनों के लिए, रजिस्ट्रार का आदेश या विनिश्चय नहीं समझा जाएगा।"।

धारा 31 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 31 में, प्रथम परन्तुक के अन्त में, " : " चिन्ह के स्थान पर "परन्तु प्रबन्ध समिति के निर्वाचन का संचालन करने तथा उप–विधियों का संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी :" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

धारा 35–आ का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 35–आ की उप–धारा (1) के परन्तुक में ", सिवाय हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी भू–विकास बैंक और हिमाचल प्रदेश राज्य दुग्ध परिसंघ (केन्द्र) के जहां तकनीकी व्यक्तियों को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा" चिन्ह और शब्दों के स्थान पर "या सुसंगत विशिष्ट या तकनीकी अहर्ता रखने वाला अधिकारी नहीं है" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 93 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 93 में,—

(क) उप–धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) उप–धारा (1) के अधीन किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील विनिश्चय या आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर की जाएगी,—

(क) यदि विनिश्चय या आदेश सहायक रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार द्वारा किया गया है तो रजिस्ट्रार को या ऐसे अतिरिक्त रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार को जो इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किया जाए; या

(ख) यदि विनिश्चय या आदेश संयुक्त रजिस्ट्रार, अतिरिक्त रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा किया गया है तो सरकार को; या

(ग) यदि विनिश्चय या आदेश किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है तो रजिस्ट्रार को या ऐसे अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप–रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार को जो इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किया जाए।";

और

(ख) उप–धारा (3) में "रजिस्ट्रार" शब्द के स्थान पर "किसी भी प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बदलते सामाजिक तथा आर्थिक परिदृश्य के फलस्वरूप, हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 के कतिपय उपबन्धों को संशोधित करना अनिवार्य समझा गया है, ताकि इन्हें समय की बदलती अपेक्षाओं के समयानुकूल लाया जा सके और कतिपय कमियों को भी दूर किया जा सके। पद "सहकारी वर्ष" और पद "राज्य" को पुनः परिभाषित करने तथा उपर्युक्त अधिनियम में रजिस्ट्रार की शक्तियों से सम्बन्धित धारा 3 तथा 93 की अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए विनिश्चय किया गया है। विद्यमान उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रार की सहायता करने को नियुक्त किसी भी अधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश को रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश समझा जा रहा है, जो सरकार के समक्ष अपील के अध्यधीन है जिससे अपीलों की संख्या बढ़ गई है। अब यह विनिश्चय किया गया है कि सहायक रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार द्वारा किए गए किसी भी विनिश्चय या आदेश की अपील रजिस्ट्रार को तथा संयुक्त रजिस्ट्रार, अतिरिक्त रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा किए गए विनिश्चय की अपील सरकार को की जा सकेगी और यदि विनिश्चय या आदेश किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है तो उसकी अपील रजिस्ट्रार को या उस द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी को की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त यह भी विनिश्चय किया गया है कि साधारण निकाय की शक्तियों का प्रयोग करने वाले लघु निकाय को प्रबन्ध समिति के निर्वाचन का संचालन करने तथा उप–विधियों इत्यादि का संशोधन करने की शक्तियां नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त अधिनियम के विद्यमान उपबन्ध के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा या हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के सदस्य को हिमाचल प्रदेश कृषि सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध संघ का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रबन्ध निदेशक का कार्य / कृत्य पूर्णतया प्रशासनिक प्रकृति का है और सुविस्तृत प्रशासनिक अनुभव रखने वाले अधिकारियों के अभाव में हिमाचल प्रदेश कृषि सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध परिसंघ के कृत्यों पर प्रायः प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस कमी को दूर करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

2. यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

कुलदीप कुमार,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख....., 2006

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 22 of 2006

THE HIMACHAL PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2006

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2006.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for clauses (6) and (17), the following clauses shall respectively be substituted, namely:—

"(6) "Co-operative year" shall mean the year commencing on the first day of April;

(17) " State" means the State of Himachal Pradesh;".

Amendment of section 3.

3. In section 3 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) The State Government may appoint a person to be the Registrar of Co-operative Societies for the State and may appoint such number of Additional Registrars, Joint Registrars, Deputy Registrars, Assistant Registrars and other persons, as it may think fit to assist him."; and

(b) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(4) Notwithstanding anything contained in this Act, where any power of the Registrar is exercised by any other person appointed under sub-section (1) to assist the Registrar, the order passed or decision made by such person shall, for the purposes of appeal, not be deemed to be the order or decision of the Registrar.".

Amendment of section 31.

4. In section 31 of the principal Act, in the end of first proviso, for the sign ":" the words and sign "but shall not have the power to conduct election of the managing committee and to amend the bye-laws:" shall be substituted.

Amendment of section 35-B.

5. In section 35-B of the principal Act, in sub- section (1), in the proviso, for the words and signs "except the Himachal Pradesh State Co-operative Land Development Bank and the Himachal Pradesh State Co-operative Milk Federation where technical persons may be appointed as Managing Directors", the words "or an officer having relevant specialized or technical qualification" shall be substituted.

Amendment of section 93.

6. In section 93 of the principal Act,—

(a) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) An appeal against any decision or order under sub-section (1) shall be made within sixty days from the date of decision or order,—

(a) if the decision or order was made by the Assistant Registrar or the Deputy Registrar, to the Registrar or such Additional Registrar or Joint Registrar as may be authorized by him in this behalf; or

(b) if the decision or order was made by the Joint Registrar, the Additional Registrar or the Registrar, to the Government; or

(c) if the decision or order was made by any other person, to the Registrar or such Additional Registrar, Joint Registrar, Deputy Registrar or Assistant Registrar as may be authorized by him in this behalf. "; and

(b) in sub-section (3), for the words "the Registrar", the words "any authority" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to changing socio, economic scenario, it has been felt necessary to amend certain provisions of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 so as to bring them in line with changing requirements of time and also to remove certain shortcomings. It has been decided to redefine the expressions "Co-operative year" and " State" and to remove the ambiguities in sections 3 and 93 of the Act *ibid* with regard to the powers of the Registrar. According to existing provisions, every order passed by any of the officers appointed to assist the Registrar is being construed as order passed by the Registrar, which is subject to appeal before the Government resulting in heavy rush of appeals. Now, it has been decided that any decision or order made by the Assistant Registrar or the Deputy Registrar may be appealed before the Registrar and any decision or order made by the Joint Registrar, Additional Registrar or the Registrar may be appealed before the Government and if decision or order is made by any other person, the same may be appealed before the Registrar or such other officer as may be authorized by him. Further it has also been decided that the smaller body of a Society exercising powers of the general body should not have the powers to conduct election of the managing committee and to carry out amendments in the bye-laws etc. According to existing provision of the Act *ibid*, a member of Indian Administrative Service or Himachal Pradesh Administrative Service can not be appointed as Managing Director of the Himachal Pradesh Agriculture Co-operative and Rural Development Bank and the Himachal Pradesh State Co-operative Milk Federation. The job/function of the Managing Director is purely administrative in nature and in the absence of officers with vast administrative experience, functioning of the Himachal Pradesh Agriculture Co-operative and Rural Development Bank and the Himachal Pradesh State Co-operative Milk Federation is often adversely affected. As such, it has been decided to remove this shortcoming. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

2. This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

KULDEEP KUMAR,
Minister-in-charge.

SHIMLA :

The..... 2006.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित